



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 10.09.2026

थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 448/2026 धारा 304(2) बीएनएस व थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को छीने व चोरी किये गये सामान सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2026 को वादी किशोरी लाल पुत्र तांती निवासी ग्राम घाट कुसुम्भा, जनपद शेखपुरा (बिहार), हाल पता मौ0 जाफ्तागंज, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गई कि 02 लड़कों द्वारा उसके हाथ से OPPO कम्पनी का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गये है।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 448/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर एवं 2.चांद पुत्र अकरम निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में लाए गए।



दिनांक 09.09.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उस्मान व चांद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से वादी उपरोक्त से छीना गया OPPO कम्पनी का मोबाइल फोन तथा 02 कट्टों में 02 बैटरें बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिनांक 08.09.2026 को भारत टॉकीज के पास स्थित रेलवे पटरी के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन लिया था तथा मौके से भाग गये थे। आज वे दोनों उक्त मोबाइल फोन एवं थाना किरतपुर क्षेत्र से चोरी की गयी बैटरियों को बेचने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

नोट- उक्त बैटरियों की चोरी के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर
2. चांद पुत्र अकरम निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाईल OPPO कम्पनी व 02 बैटरे

अभियुक्त उस्मान उर्फ छोटू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-318/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0-358/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0-136/2025 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0-267/2025 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0-55/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर
6. मु0अ0स0-448/2026 धारा 304(2)/3(5)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर
7. मु0अ0स0-279/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना किरतपुर बिजनौर

अभियुक्त चांद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-448/2026 धारा 304(2)/3(5)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु0अ0स0-279/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना किरतपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 लव गिरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 134 सौरभ थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
4. का0 2499 रिकू सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
5. का0 1832 विरेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
6. का0 3065 हर्ष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट- थाना शेरकोट

दिनांक 10.09.2026

**थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 200/25 व 201/25 धारा
318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को वादी श्री संदीप कुमार वर्मा, राज्य कर अधिकारी, खण्ड धामपुर द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गई कि फर्म M.A. TRADERS (GSTIN-09BQWPA9094B1ZF), धामपुर रोड, शेरकोट, जनपद बिजनौर द्वारा बिना वास्तविक व्यापारिक गतिविधि किए मात्र अभिलेखों में ₹11,09,91,355.60 की आउटवर्ड सप्लाई प्रदर्शित करते हुए ₹19,96,444.00 की CGST ITC प्राप्त कर राजस्व क्षति पहुंचाई गई है।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 200/25 व 201/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)

बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त शहनवाज पुत्र बाबू हुसैन निवासी नई बस्ती, कस्बा व थाना जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 10.09.2026 को थाना शेरकोट पुलिस व क्राइम ब्रान्च बिजनौर की संयुक्त कार्यवाही में अभियुक्त शहनवाज उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।



पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त शहनवाज ने बताया कि वह लकड़ी की खरीद-फरोख्त का कार्य करता है और अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल एवं अन्य आईडी प्राप्त कर उनके नाम से फर्जी जीएसटी फर्मों का पंजीकरण कराते हैं। उसके ही एक साथी अभियुक्त उपलब्ध कराये गये जीएसटी नम्बर एवं कोड का प्रयोग कर अभियुक्त कूटरचित बिल तैयार करता था तथा बिना किसी वास्तविक माल के क्रय-विक्रय के उक्त बिलों को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करता था। इसी प्रकार सी0एम0 टिम्बर (जीएसटी नं0 09CSBPC7107H1ZZ) सहित अन्य फर्मों का फर्जी तरीके से संचालन कर सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाते हुए अनैतिक आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता:-

शहनवाज पुत्र बाबू हुसैन निवासी नई बस्ती, कस्बा व थाना जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. निरीक्षक दिनेश कुमार क्राइम ब्रान्च बिजनौर
2. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. है0का0620 मनीष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 10.09.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 458/2026 धारा 109(1)/118(1)/190/191(2)/115(2)/352 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही -

दिनांक 28.07.2026 को थाना चांदपुर पर वादी मदन पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी ग्राम सुजातपुर खादर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. अजय पुत्र कृष्ण, 2. कृष्ण पुत्र विक्रम, 3. धीर सिंह पुत्र विक्रम, 4. बिन्दू पुत्र धीर सिंह, 5. नेत्रपाल पुत्र विक्रम सिंह, निवासीगण ग्राम सुजातपुरखादर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा गाली-गलौज कर वादी के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 458/2026 धारा 109(1)/118(1)/190/191(2)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



आज दिनांक 10.09.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछित चल रहे अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सुजातपुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- दिनांक 28.08.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त कृष्ण पुत्र विक्रम निवासी ग्राम सुजातपुरखादर, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नेत्रपाल पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सुजातपुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त नेत्रपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 458/26 धारा 109(1)/118(1)/190/191(2)/115(2)/352 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 598/19 धारा 147, 148, 149, 332, 336, 353 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 216/25 109(1), 121(1), 125, 132, 190, 191(2), 191(3), 324(4), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 43 सोनवेन्द्र राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 10.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/2026 धारा 331(4),305(1) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गयी 02 भैसों को बरामद कर प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों (02 हिस्ट्रीशीटर सहित) को गिरफ्तार किया गया ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2026 को वादी जलालूद्दीन पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम इस्लामपुर लालू उर्फ मालीवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घरे का ताला तोड़कर उसकी 02 भैस (कीमत करीब 03 लाख रुपये) चोरी कर ली गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस जनपद बिजनौर से करीब 75 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र पहुंचीं, जहां से चोरी की गई 02 जीवित भैसों को बरामद किया गया ।

साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 1. सुभान उर्फ भूरा पुत्र उस्मान निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2. नीटू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम भरेकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर तथा 3. इस्तकार उर्फ टाईगर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- 1- सुभान उर्फ भूरा पुत्र उस्मान निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (हिस्ट्रीशीटर)
- 2- नीटू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम भरेकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (हिस्ट्रीशीटर)
- 3- इस्तकार उर्फ टाईगर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की गयी दोनों भैस (जिनकी कीमत तकरीबन 03 लाख रुपये) बरामद की गयी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुभान उर्फ भूरा पुत्र उस्मान उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 392/2023 धारा 379,411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 414/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 380 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 233/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 365/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 413/2023 धारा 380 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



8. मु0अ0सं0 248/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 72/2024 धारा 380,411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 129/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 207/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 नीटू पुत्र जगदीश उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 454/2020 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 97/2026 धारा 18/8B एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 126/2019 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 163/2019 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 208/2019 धारा 380 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 234/2019 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 236/2019 धारा 307,399,402 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 237/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 95/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 204/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
12. मु0अ0सं0 387/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
13. मु0अ0सं0 392/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
14. मु0अ0सं0 485/2022 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
15. मु0अ0सं0 492/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
16. मु0अ0सं0 325/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
17. मु0अ0सं0 326/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभि0 इस्तकार उर्फ टाईगर पुत्र हनीफ उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 144/2022 धारा 354(घ) भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 457/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरी0 श्री सचिन मलिक मय सर्विलांस/ स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
2. श्री सुनील कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री मुन्ना लाल, थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री हिमान्शु गोस्वामी प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
5. हे0का0 संदीप तोमर स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
6. हे0का0 जोगेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी मोनू सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
8. आरक्षी आकाश स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
9. आरक्षी दिलशाद सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
10. आरक्षी अचिन स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
11. का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
12. का0 2052 नीटू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
13. का0 293 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
14. का0 2095 अजय कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

15. का0 2051 आकाश तंवर, थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 10.09.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 521/26 धारा 305(A)/317(2) से सम्बंधित 01 अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 03.09.2026 को थाना चांदपुर पर वादी अब्दुल्ला हसन पुत्र कलबे हसन निवासी मौ0 काजीसराय, कस्बा/थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मौ0 समी पुत्र रईसुरहमान निवासी मौ0 मिलकियान सादात, स्योहारा, तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर से मोटरसाइकिल MT-15 चेसिस न0 ME1RG6827N0032974 व इंजन न0 G3N4E0325448 को चोरी कर ली गयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 521/2026 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



आज दिनांक 10.06.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मौ0 समी पुत्र रईसुरहमान निवासी मौ0 मिलकियान सादात स्योहारा तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को मय मो0सा0 UP20CF 1963 सहित गिरफ्तार किया गया जिसको समय मे मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौ0 समी पुत्र रईसुरहमान नि0 मौ0 मिलकियान सादात, स्योहारा, तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण-

एक मोटरसाइकिल MT-15 चेसिस न0 ME1RG6827N0032974 व इंजन न0 G3N4E0325448

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सागर चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 496 नरेश पूनिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 895 रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।